



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200।

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935

No. 200।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SHARAVANA 2, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 19 जुलाई, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/21/79/2013.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी और 42डे के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम कहलाएँगे।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है;
- (ख) 'सलाहकार समिति' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (1999 का 41) की धारा 25 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;
- (ग) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) 'प्रत्यक्ष दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जो या तो प्रत्यक्ष दलाल संमिश्र है, या प्रत्यक्ष दलाल जीवन या प्रत्यक्ष दलाल जीवनेतर;
- (ङ) 'प्रत्यक्ष दलाल संमिश्र' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो अपने ग्राहकों की ओर से जीवन बीमा और साधारण बीमा के क्षेत्र में पारिश्रमिक के लिए विनियम 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में कार्य करता है;
- (च) 'प्रत्यक्ष दलाल जीवन' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो अपने ग्राहकों की ओर से जीवन बीमा के क्षेत्र में पारिश्रमिक के लिए विनियम 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में कार्य करता है;
- (छ) 'प्रत्यक्ष दलाल जीवनेतर' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो अपने ग्राहकों की ओर से साधारण बीमा के क्षेत्र में पारिश्रमिक के लिए विनियम 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में कार्य करता है;
- (ज) 'जाँच अधिकारी' से प्राधिकरण का कोई अधिकारी, अथवा बीमा व्यवसाय में

अनुभवप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बीमा दलाल के विरुद्ध जाँच करने के लिए विनियम 34 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त है;

- (झ) 'फार्म' से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म अभिप्रेत हैं;
- (ज) 'निरीक्षण प्राधिकारी' से विनियम 26 में बताये गये कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उसके एक अथवा अधिक अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (ट) 'बीमा दलाल' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विनियम 9 के अधीन प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए अपने ग्राहकों की ओर से बीमा कंपनियों के साथ बीमा संविदाओं की व्यवस्था करता है।

स्पष्टीकरण : 'बीमा दलाल' शब्द इन विनियमों में जहाँ भी प्रयुक्त है, वहाँ उसका अर्थ प्रत्यक्ष दलाल के रूप में माना जाएगा;

प्रत्यक्ष दलाल की परिभाषा जोड़ें।

- (ठ) 'व्यक्ति' से अभिप्रेत है - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया अनुसूचित बैंक।
- (ड) 'प्रधान अधिकारी' से अभिप्रेत है - केवल बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त और कारपोरेट कार्यालय में पदस्थ संबंधित लाइसेंसप्राप्त संस्था का महाप्रबंधक अथवा समकक्ष संवर्ग का अधिकारी।
- (ढ) 'विनियम' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 अभिप्रेत हैं;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अथवा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, जैसी स्थिति हो, में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. प्रत्यक्ष दलाल के कार्य - प्रत्यक्ष दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) ग्राहक के कारोबार और जोखिम प्रबंध दर्शन की विस्तृत सूचना प्राप्त करना;
- (ख) ग्राहक के कारोबार और जोखिम अंकन संबंधी जानकारी से स्वयं अवगत होना ताकि इसे बीमाकर्ता और अन्यों को स्पष्ट किया जा सके;
- (ग) उपयुक्त बीमा रक्षा और शर्तों के संबंध में परामर्श देना;
- (घ) जैसा लागू हो, उपलब्ध बीमा बाजारों की विस्तृत जानकारी को सुरक्षित रखना;
- (ङ) ग्राहक के विचारार्थ बीमाकर्ता/ओं से प्राप्त भाव प्रस्तुत करना;
- (च) रक्षा हेतु मूल्य-निर्धारण की शर्तें तय करने के लिए जोखिम का निर्धारण करने में बीमाकर्ता की अपेक्षानुसार आवश्यक जोखिम अंकन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना;
- (छ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर तत्परतापूर्वक कार्य करना तथा उन्हें लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएं और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ज) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64वींबी के अधीन प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता करना; उक्त अधिनियम की धारा 64वींबी के उपबंध बीमाकर्ता द्वारा जोखिम का आकलन करने के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए लगातार जारी रहेंगे;
- (झ) दावों से संबंधित बातचीत में सहायता करना; तथा
- (ञ) दावों का उपयुक्त अभिलेख रखना;

4. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन - (1) बीमा दलाल के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्राधिकरण को फार्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन विनियम 16 में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक शुल्क के साथ प्रत्यक्ष दलाल की श्रेणी के लिए किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदक के लिए बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो - ऐसा कोई भी आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो तथा फार्म ए और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो, अस्वीकृत किया जाएगा।

बशर्ते कि, ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी प्रकार से आवेदन को भरने और त्रुटियों को, यदि कोई हों, सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा

[दलाल का नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रलेखन और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएँ इन विनियमों के साथ अनुबंध-। मैं दी गई हैं।]

6. सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण - (1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटान के प्रयोजन से तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि अपेक्षित हो तो आवेदक अथवा उसका प्रधान अधिकारी आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।

7. आवेदन पर विचार - (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण बीमा दलाल द्वारा कार्य संचालित करने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।

(2) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण विशेष रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :-

क) क्या आवेदक अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;

ख) क्या आवेदक के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे, पर्याप्त कार्यालय परिसर, उपकरण और प्रशिक्षित श्रमशक्ति है ताकि वह अपने कार्यकलाप प्रभावी ढंग से संपन्न कर सके;

ग) क्या आवेदक के पास उसकी सेवा में कम से कम ऐसे दो व्यक्ति हैं जो नीचे खंड (च) में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखते हैं।

घ) क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है।

स्पष्टीकरण : - इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" से अभिप्रेत है, किसी कर्म अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक का कोई सहयोगी, सहायक, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों के अर्थ वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

अथवा प्रतियोगिता अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए माने गये हैं।

- इ) क्या आवेदक विनियम 20 में विनिर्दिष्ट रूप में जमा संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है;
- च) क्या आवेदक के प्रधान अधिकारी ने समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से कम से कम एक सौ घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा उपर्युक्त प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

बशर्ते कि जहाँ आवेदक का प्रधान अधिकारी भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का असोसिएट/फेलो; अथवा सीआईआई, लंदन का असोसिएट/फेलो; अथवा भारतीय बीमांकिक संस्थान का असोसिएट/फेलो है अथवा बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर योग्यता रखता है; वहाँ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पचास घंटों का होगा।

- छ) क्या प्रधान अधिकारी ने इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया है;
- ज) क्या आवेदक को उनके मुख्य उद्देश्यों के अतिरिक्त बीमा दलाली करने की अनुमति दी गई है; तथा
- झ) प्राधिकरण का अभिमत है कि लाइसेंस प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा।

(3) बीमा दलाल की ओर से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी किसी कर्मचारी को भी ऊपर उप-विनियम 2(च) में उल्लिखित अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी तथा ऐसे कर्मचारियों की एक सूची प्राधिकरण को प्रस्तुत करना और उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. पूँजीगत अपेक्षाएँ - (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 के अधीन लाइसेंसप्राप्त संस्थाओं के लिए बीमा दलाली व्यवसाय हेतु कोई पूँजीगत आवश्यकता नहीं है।

- क) आवेदक को उनके मुख्य उद्देश्यों के अतिरिक्त इन विनियमों के अधीन लाइसेंसप्राप्त रूप में बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- ख) आवेदक कंपनी में गैर-भारतीय हित का परिकलन भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्णीत रूप में बैंकिंग क्षेत्र के लिए लागू सीमाओं के अनुसार होगा।

9. लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया - प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी करता है, फार्म बी में लाइसेंस प्रदान करेगा तथा इसकी सूचना आवेदक को उस श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रेषित करेगा जिसके लिए प्राधिकरण ने लाइसेंस प्रदान किया है। लाइसेंस समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शर्तों और आचरण-संहिता का पालन बीमा दलाल द्वारा किये जाने के अधीन जारी किया जाएगा।

10. लाइसेंस की वैधता - एक बार जारी किया गया लाइसेंस उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक उसे इन विनियमों के अनुसरण में लंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

11. लाइसेंस का नवीकरण - (1) बीमा दलाल लाइसेंस की समाप्ति से तीस दिन पहले लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकरण को फार्म ए में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

परंतु शर्त यह है कि यदि आवेदन प्राधिकरण को उस अवधि के बाद लेकिन वर्तमान लाइसेंस की वास्तविक समाप्ति से पहले प्राप्त होता है, तो आवेदक द्वारा प्राधिकरण को केवल एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

आगे यह भी शर्त है कि प्राधिकरण पिछले परंतुक द्वारा आकृत न किये गये विलंब के लिए आवेदक द्वारा लिखित रूप में दिये गये पर्याप्त कारणों के लिए लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को आवेदक द्वारा केवल सात सौ पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर स्वीकार कर सकता है।

(2) बीमा दलाल के बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे लाइसेंस के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा प्रदल्त कम से कम पच्चीस घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जैसी कि विनियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई है।

(4) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तें आवेदक पूरी करता है, लाइसेंस का नवीकरण फार्म बी में तीन वर्ष की अवधि के लिए करेगा तथा आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण : जहाँ दलाल ने विनियम 11 के अनुसार नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा आवेदक बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने नवीकरण की तारीख की स्थिति के अनुसार और/या नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख को उपर्युक्त कंपनी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की है, वहाँ प्राधिकरण उपर्युक्त दलाल को अगले 90 दिन के लिए (नियत नवीकरण की तारीख से) अपने कार्यकलाप जारी रखने के लिए पत्र जारी कर सकता है यदि नवीकरण की नियत तारीख से लाइसेंस का नवीकरण समय पर नहीं किया गया हो। यदि कोई अन्य प्रशासनिक कारण हों अथवा लाइसेंस के नवीकरण में आगे और कोई विलंब हो, तो प्राधिकरण दलाल को उसके व्यवसाय की ऐसी निरंतरता के लिए सूचित कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये ऐसी निरंतरता के पत्र की अवधि के दौरान दलाल कंपनियों का पारिश्रमिक रोक नहीं रखेंगे।

[दलाल लाइसेंस का नवीकरण प्राप्त करने के लिए प्रलेखन और प्रक्रियागत अपेक्षाएँ इन विनियमों के साथ अनुबंध-॥ में दी गई हैं।]

12. प्रक्रिया जहाँ लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है - (1) जहाँ विनियम 4 के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए अथवा विनियम 11 के अधीन उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन विनियम 7 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है।

बशर्ते कि जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को उसमें वे कारण, जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, दर्शाते हुए ऐसी

अन्वीकृति से तीस दिन के अंदर दी जाएगी।

(3) कोई भी आवेदक यदि प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट हो, तो ऐसी सूचना की प्राप्ति की तरीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अद्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(4) प्राधिकरण के अद्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेंगे तथा उक्त आवेदन की प्राप्ति से छह सप्ताह के अंदर उसपर अपना निर्णय लिखित में आवेदक को सूचित करेंगे।

(5) यदि विनियम 9 के अधीन जारी किया गया लाइसेंस निरस्त/अव्याप्ति किया जाता है अथवा विनिर्दिष्ट कारणों से नवीकृत करने के लिए अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक को प्राधिकरण के विचारार्थ नए सिरे से आवेदन करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण के ऐसे नियमोंकरण/अव्याप्ति अथवा अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

13. लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृति का प्रभाव - कोई भी आवेदक, जिसका विनियम 4 के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए अथवा विनियम 11 के अधीन उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, विनियम 12(2) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा। तथापि, वह पहले से अपने दबारा की गई संविदाओं के संबंध में सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगातार बाध्य रहेगा। इस प्रकार की सेवा केवल उन वर्तमान संविदाओं के समाप्त होने की अवधि तक ही जारी रहेगी, जिसका विवरण विनियम 12 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा।

14. लाइसेंस की अनुलिपि (इन्सिकेट) का निर्गम - (1) लाइसेंस के खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में बीमा दलाल प्राधिकरण को लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक हजार रुपये के शुल्क के साथ तथा लाइसेंस के निर्गम और उसके खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक घोषणा सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर कि मूल लाइसेंस खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है, फार्म बी में लाइसेंस की एक अनुलिपि (इन्सिकेट) उस पर पृष्ठांकन करते हुए कि यह अनुलिपि है, जारी करेगा।

15. वैध लाइसेंस के बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई - (1) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध

लाइसेंस को धारण किये बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करता है, कोई

आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के बावजूद और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम अथवा फिलहाल प्रचलित किसी अन्य कानून के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहाँ उप-विनियम (1) के अंतर्गत आनेवाला व्यक्ति एक कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण के द्वारा की जानेवाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी और फर्म का प्रत्येक भागीदार जो इस प्रकार के उल्लंघन का जान-बूझकर पक्षकार है, भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने के लिए जिम्मेदार है।

16. शुल्क का भुगतान और शुल्क का भुगतान न करने के परिणाम - (1) प्रत्येक बीमा दलाल लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय नीचे दर्शाये अनुसार वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क अदा करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	देय लाइसेंस शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	25,000 रुपये

(2) प्रत्येक बीमा दलाल नीचे निर्धारित किये अनुसार वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	प्रति वर्ष देय लाइसेंस शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 100,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।

ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क दलाल के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने से लेकर 15 दिन की समाप्ति अथवा 30 सितंबर, जो भी पहले हो, से पहले अदा किया जाएगा।

(3) प्रत्येक बीमा दलाल लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ 5000 रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) का नवीकरण शुल्क अदा करेगा।

(4) उक्त शुल्क हैदराबाद में देय "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम आदाता खाता ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।

(5) जहाँ बीमा दलाल उप-विनियम (2) के अधीन देय वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस को निलंबित कर सकता है, जिसके बाद बीमा दलाल उस अवधि के लिए व्यवसाय का संचालन बंद करेगा, जिसके दौरान निलंबन जारी

रहता है।

- 17. पारिश्रमिक** - (1) किसी भी बीमा दलाल को पारिश्रमिक (रायल्टी अथवा लाइसेंस शुल्क अथवा प्रशासन प्रभार अथवा इस प्रकार की अन्य क्षतिपूर्ति सहित) के रूप में प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये परिपत्रों/विनियमों में विनिर्दिष्ट/अधिसूचित सीमाओं से अधिक कोई राशि अदा नहीं की जाएगी अथवा अदा करने के लिए कोई संविदा नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण : बीमे के संबंध में कोई दलाली अदा नहीं की जा सकती जहाँ ऐंसी कमीशन देय हो और इसी प्रकार जहाँ दलाली देय हो वहाँ बीमे के संबंध में किसी ऐंसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जा सकता।

- (2) दलालों के पारिश्रमिक के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा लेखों का निपटान मासिक आधार पर किया जाएगा तथा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया शेषों का कोई प्रति-निपटान न किया जाए।

- 18. एकल ग्राहक से कारोबार संबंधी उच्चतम सीमा** - (1) बीमा दलाल का कारोबार इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रीमियम (प्रमात्रा, प्राप्तियाँ आदि, जैसी स्थिति हो) के 50 प्रतिशत से अधिक किसी एक ग्राहक से उत्पन्न नहीं होगा।

टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राहक" शब्द में किसी फर्म अथवा कंपनी के मामले में सहयोगी अथवा सहायक संस्था अथवा एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह प्रतिष्ठान शामिल होगा।

- (2) किसी वित्तीय वर्ष में बीमा दलाल द्वारा किये गये बीमों का 25 प्रतिशत से अनधिक भाग प्रवर्तक समूह में जीवन व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के लिए अलग-अलग रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 18.3.2008 के परिपत्र सं. 063/आईआरडीए/मेमो/07-08 द्वारा जारी किये गये बीमा व्यवसाय को करने के अलावा बीमा दलाल कंपनियों का प्रवर्तन करनेवाले कारपोरेट घरानों संबंधी ज्ञापन में परिकल्पित अन्य शर्तें भी इन विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त आवेदकों पर लागू हैं।
- (3) क्या कोई कंपनी, व्यवसाय अथवा संगठन एक ही प्रबंधन के अंतर्गत है अथवा नहीं, इस विषय में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

- 19. आचरण संहिता** - प्रत्येक बीमा दलाल अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का पालन करेगा।

- 20. जमा संबंधी अपेक्षाएँ** - (1) प्रत्येक बीमा दलाल अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले किसी भी अनुसूचित बैंक के पास 50 लाख रुपये की राशि जमा करेगा और इतनी

जमाराशि को बनाये रखेगा;

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास इस जमाराशि का ग्रहणाधिकार (लियन) होगा ।

(3) यह मीयादी जमाराशि उसको तब तक अदा नहीं की जाएगी जब तक प्राधिकरण की पूर्व-अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

(4) जब भी माँगा जाएगा तब प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को उस बैंक द्वारा प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी मीयादी जमाराशि रखी गई है ।

21. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा - (1) प्रत्येक बीमा दलाल एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा प्राप्त करेगा और उसे बनाये रखेगा तथा उसे प्राधिकरण द्वारा उसको प्रदान किये गये लाइसेंस की पूरी वैधता-अवधि के दौरान लगातार बनाये रखेगा ।

बशर्ते कि प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये रूप से लाइसेंस-प्राप्त बीमा दलाल को मूल लाइसेंस के निर्गम की तारीख से पंद्रह महीनों के अंदर इस प्रकार की गारंटी प्रस्तुत करने की अनुमति देगा ।

(2) उक्त बीमा रक्षा अवश्य निम्नलिखित के संबंध में बीमा दलाल को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी

(क) उसकी ओर से अथवा उसके कर्मचारियों और निदेशकों की ओर से कोई भी त्रुटि अथवा चूक अथवा असावधानी;

(ख) धन अथवा अन्य संपत्ति की कोई भी हानि जिसके लिए दलाल किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप कानूनी तौर पर बाध्य है;

(ग) दस्तावेजों की कोई हानि तथा इस प्रकार के दस्तावेजों को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनःप्रचलित करने में लागतें और किये गये व्यय;

(घ) दलाल के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा बेईमान और कपटपूर्ण कार्य अथवा चूकें ।

(3) उक्त क्षतिपूर्ति रक्षा -

(क) लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;

(ख) इस आशय की किसी शर्त से युक्त नहीं होगी कि दावों के भुगतान बीमा दलाल द्वारा पहले देयता पूरी करने के आधार पर होंगे;

(ग) इस बात का विचार किये बिना बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी कि दावा उत्पन्न करनेवाली घटना किस समय घटित हुई है ।

बशर्ते कि पूर्णतः उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप न होनेवाली क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए विशेष मामलों में दी जाएगी ।

- (4) बीमा दलालों के मामले में किसी एक दावे के लिए और वर्ष के लिए कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति की सीमा न्यूनतम पचास लाख रुपये और अधिकतम पचास करोड़ रुपये की सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंकिंग परिचालनों से प्राप्त पारिश्रमिक की तिगुनी होगी ।
- (5) प्रत्येक दावे के संबंध में अबीमाकृत आधिक्य बीमा दलाल द्वारा व्यवसाय में प्रयुक्त पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- (6) बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी जिसने निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो ।
 - (क) इस बात के प्रमाण के रूप में कि उक्त रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती है, बीमा दलाल की लाइसेंस संख्या, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता के नाम सहित, नाम और पते से युक्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र बीमा दलाल को उपलब्ध कराना;
 - (ख) बीमा दलाल को उक्त प्रमाणपत्र जारी करते समय प्राधिकरण को उक्त प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (ड्रॉप्लिकेट) प्रेषित करना; तथा
 - (ग) रक्षा के अमान्यकरण, उसका नवीकरण न करने अथवा मध्यावधि में उसे निरस्त करने के किसी भी मामले की सूचना तत्काल बीमाकर्ता को देना ।
- (7) प्रत्येक बीमा दलाल ।
 - (क) यदि कोई रक्षा निरस्त की गई हो अथवा अमान्य की गई हो अथवा किसी पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया हो तो प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा;
 - (ख) उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किये गये किसी भी दावे के संबंध में बीमाकर्ता को लिखित में तत्काल सूचित करेगा;
 - (ग) उन सभी परिस्थितियों अथवा घटनाओं की सूचना बीमाकर्ता को तत्काल देगा जो पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न कर सकती हों; तथा
 - (घ) जैसे ही कोई बीमाकर्ता सूचित करता है कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति को अस्वीकार करना चाहता है, तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा ।

22. खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण - (1) प्रत्येक बीमा दलाल अपने बीमा दलाल परिचालनों हेतु प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए अलग खाता-बहियाँ तैयार करेगा -

- (i) प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर तुलन-पत्र अथवा स्थिति विवरण;
- (ii) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा;
- (iii) नकदी/निधि प्रवाह का विवरण;
- (iv) बीमा दलाल व्यवसाय संबंधी अतिरिक्त विवरण जैसे कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किये जाते हैं।

टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए लेखा-वर्ष 12 महीने (अथवा कम जहाँ व्यवसाय 1 अप्रैल के बाद प्रारंभ किया जाता है) की अवधि का होगा जो वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रारंभ होगा और अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा, तथा खातों का अनुरक्षण उपचय के आधार पर किया जाएगा।

- (2) इन खाता-बहियों की लेखा-परीक्षा एक अहता-प्राप्त सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा अलग से करानी होगी।
- (3) प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को उप-विनियम (1) में बताये गये लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा-वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन के अंदर व्यवसाय के संचालन, खातों की स्थिति, आदि के संबंध में लेखा-परीक्षकों की अन्युक्तियों अथवा टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये ऐसे खातों के साथ ऐसी टिप्पणियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
- (4) प्रत्येक बीमा दलाल लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के अंदर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई किन्हीं कमियों को सुधारने के लिए कदम उठाएगा और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- (5) सभी खाता-बहियों, विवरणों, दस्तावेजों, आदि का अनुरक्षण बीमा दलाल के प्रधान कार्यालय अथवा उसके द्वारा नामित और प्राधिकरण को सूचित ऐसे किसी अन्य शाखा कार्यालय में किया जाएगा तथा उन्हें प्राधिकरण के उन अधिकारियों को सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध कराया जाएगा जो निरीक्षण के लिए उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किये जाएँगे।
- (6) इस विनियम में उल्लिखित और बीमा दलाल द्वारा अनुरक्षित सभी बहियों और दस्तावेजों, विवरणों, संविदा नोटों आदि को उनके संबंधित वर्ष की समाप्ति से कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

23. छमाही परिणामों की प्रस्तुति - (1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल से पहले विनियम 20 के उपबंधों के अनुसार जमा संबंधी अपेक्षाओं की पुष्टि करनेवाली एक घोषणा के साथ कार्यनिष्पादन, वित्तीय स्थिति, आदि के ब्यांग से युक्त, लेखा-परीक्षित न किया गया एक छमाही वित्तीय विवरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के विनियम का पालन न करने पर बीमा दलाल के विरुद्ध विनियम 31 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

24. आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ - प्रत्येक बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि कारोबार में आंतरिक लेखा-परीक्षा की उपयुक्त प्रणाली लागू है तथा उसके आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ उसके व्यवसाय के आकार, स्वरूप और जटिलता के लिए पर्याप्त हैं।

25. प्राधिकरण को प्रकटीकरण - (1) बीमा दलाल प्राधिकरण को उसके द्वारा अपेक्षित किये जाने पर अपेक्षा करने से लेकर किसी भी स्थिति में तीस दिन से अनधिक अवधि में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा, अर्थात्-

- (i) किसी बीमा संविदा के स्थापन के संबंध में उसकी जिम्मेदारियाँ;
- (ii) पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना अथवा विवरण में कोई भी परिवर्तन, जिसका संबंध उसे प्रदान किये गये लाइसेंस से है;
- (iii) उन ग्राहकों के नाम जिनके बीमा संविभाग का प्रबंध वह कर रहा है अथवा पहले कर चुका है;
- (iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य अपेक्षा।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त बीमा दलालों से यह अपेक्षित होगा कि वे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट फार्मों में प्राधिकरण को सूचना प्रस्तुत करें।

26. प्राधिकरण का निरीक्षण करने का अधिकार - (1) बीमा दलाल के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में अपने एक अथवा अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके और देखा जा सके कि कारोबार कैसे संचालित किया जा रहा है तथा उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए बीमा दलाल की खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया जा सके।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित प्रयोजन निम्नानुसार हो सकते हैं, अर्थात् :-

- (i) यह सुनिश्चित करना कि खाता-बहियों का अनुरक्षण अपेक्षित तरीके से किया जा रहा है;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है;
- (iii) बीमा दलाल के कार्यकलापों से संबंध रखनेवाले किसी भी विषय पर किसी बीमाकृत व्यक्ति, किसी बीमाकर्ता, अन्य बीमा दलालों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना; तथा
- (iv) बीमा व्यवसाय के समुचित विकास के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में अपने आप बीमा दलाल के कार्यों की जाँच-पड़ताल करना।
27. निरीक्षण से पहले सूचना - (1) विनियम 26 के अधीन निरीक्षण करने से पहले प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए बीमा दलाल को दस दिन की सूचना देगा।
- (2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण संतुष्ट है कि पॉलिसीधारकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, वह लिखित में दर्ज किये कारणों से यह निदेश दे सकता है कि ऐसी किसी सूचना के बिना बीमा दलाल के कार्यों का निरीक्षण किया जाए।
- (3) बीमा दलाल निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसे बीमा दलाल द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत परिसर में पूर्णतः प्रवेश करने देगा तथा बीमा दलाल के कब्जे में स्थित बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जाँच करने के लिए सभी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा।
- (4) निरीक्षण प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निरीक्षण के दौरान बीमा दलाल के किसी प्रधान अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी के वक्तव्यों की जाँच करे अथवा उन्हें अभिलिखित करे तथा उसे शक्तियाँ होंगी कि वह दस्तावेजों/अभिलेखों को जब्त करे अथवा उनकी प्रतियाँ निकाले।
- (5) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के संबंध में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करे जिसकी प्रत्याशा बीमा दलाल से प्राप्त करने के लिए उचित रूप से की जा सकती है।
- (6) इस संबंध में प्राधिकरण की अपेक्षाओं का पालन न करने अथवा निरीक्षण अधिकारियों को सहयोग प्रदान न करने का परिणाम लाइसेंस का निलंबन होगा।
28. प्राधिकरण को रिपोर्ट की प्रस्तुति - निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण की समाप्ति से 90 दिन के अंदर प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- 29. निष्कर्षों आदि की सूचना -** (1) प्राधिकरण उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष बीमा दलाल को सूचित करेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी के निष्कर्षों पर प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे अपनी बात कहने का एक उचित अवसर प्रदान करेगा।
 (2) बीमा दलाल से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण बीमा दलाल को ऐसे उपाय करने के लिए निदेश दे सकता है जो प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जाएँगे।
- 30. अन्वेषक की नियुक्ति -** (1) प्राधिकरण बीमा दलाल की खाता-बहियों अथवा उसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने के लिए किसी सनदी लेखाकार अथवा बीमांकिक अथवा बीमे के क्षेत्र में अहंताप्राप्त और अनुभव रखनेवाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
 बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के पास निरीक्षण अधिकारी के वही अधिकार होंगे जो विनियम 26 में उल्लिखित हैं तथा विनियम 26 में बताये गये बीमा दलाल के दायित्व इस विनियम के अंतर्गत जाँच-पड़ताल के लिए लागू होंगे।
स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "सनदी लेखाकार" (चार्टर्ड अकाउटेंट) का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 में दिया गया है, तथा अभिव्यक्ति 'बीमांकिक' से भारतीय बीमांकिक संस्थान का सदस्य अभिप्रेत होगा।
- (2) ऐसी जाँच-पड़ताल के व्ययों और लागतों की वसूली प्राधिकरण द्वारा उस बीमा दलाल से की जाएगी जिसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी।
- 31. सूचना के साथ लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा निलंबन -** (1) किसी बीमा दलाल का लाइसेंस उचित सूचना और उसको अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देने के बाद निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है यदि वह-
- (क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है;
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षानुसार बीमा दलाल के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;

- (ग) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करता है; अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है अथवा प्रकट नहीं करता है;
- (घ) प्राधिकरण की अपेक्षानुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता है;
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी निरीक्षण अथवा जाँच में सहयोग नहीं करता है;
- (च) पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान नहीं करता है अथवा इस संबंध में प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर नहीं देता है;
- (छ) किसी ग्राहक अथवा ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारियों अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को छूटें अथवा नकद या वस्तु रूप में प्रलोभन देने में लिप्त है;
- (ज) कदाचार का दोषी पाया गया है अथवा उसका आचरण अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अनुरूप नहीं है;
- (झ) इन विनियमों के अधीन शुल्क का भुगतान अथवा व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं करता;
- (ञ) लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है;
- (ट) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता;
- (ठ) यदि विनियम 7 में विनिर्दिष्ट रूप में प्रधान अधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता।
- (2) उन परिस्थितियों में जहाँ प्राधिकरण यह महसूस करता है कि किसी बीमा दलाल की स्थापना केवल निधियों का विपथन कंपनियों के किसी समूह अथवा उनकी सहयोगी संस्थाओं के अंदर करने के लिए ही है, वह अपने द्वारा की गई उचित जाँच-पड़ताल के बाद बीमा दलाल को प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर सकता है।
32. सूचना दिये बिना लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा निलंबन - बीमा दलाल का लाइसेंस सूचना दिये बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, यदि वह-
- (क) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अंतर्गत किसी एक अथवा उससे अधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है;
- (ख) धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया है अथवा दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है;

(ग) ऐसी चूकें करता है जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने निरस्तीकरण के लिए कारण लिखित में सूचित कर दिये हों;

(घ) बीमा दलाल ने लाइसेंस प्रदान करने के बाद छह महीने में कारोबार प्रारंभ नहीं किया है।

33. सूचना के साथ निरस्तीकरणनिलंबन का आदेश देने की विधि - बीमा दलाल का लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक विनियम 34 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच आयोजित नहीं की जाती।

34. निलंबन अथवा निरस्तीकरण से पहले जाँच आयोजित करने की विधि - (1) विनियम 33 के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है;

(2) जाँच अधिकारी बीमा दलाल के पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय के प्रधान स्थान, जैसी स्थिति हो, मैं बीमा दलाल को ऐसी सूचना मांगते हुए एक नोटिस जारी करेगा जो जाँच का संचालन करने के लिए वह आवश्यक समझता है।

(3) बीमा दलाल ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर जाँच अधिकारी के लिए आधारभूत अथवा जाँच अधिकारी द्वारा माँगे गये दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों के साथ जाँच अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत कर सकता है;

(4) जाँच अधिकारी बीमा दलाल को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर देगा ताकि वह उप-विनियम (3) के अधीन दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुति कर सके;

(5) बीमा दलाल या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है;

(6) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से अपना मामला अपने एक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; तथा

(7) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और बीमा दलाल द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जाँच की कार्रवाई पूरी करने के 90 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

35. कारण बताओ नोटिस और आदेश - (1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण उस पर विचार करेगा तथा बीमा दलाल को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा यदि रिपोर्ट की विषय-वस्तु के आधार पर उसे प्रदान किये गये लाइसेंस का

निलंबन अथवा निरस्तीकरण करने की आवश्यकता हो। बशर्ते कि ऐसी कोई नोटिस अपेक्षित नहीं है, यदि विनियम 32 के उपबंध लागू होते हों।

(2) बीमा दलाल उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर भेजेगा।

(3) प्राधिकरण उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उत्तर की प्राप्ति से तीस दिन से अनधिक अवधि में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझाता है।

तथापि, शर्त यह होगी कि जहाँ बीमा दलाल इस विनियम के अधीन नोटिस देने पर उपर्युक्त अवधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण ऐसी समयावधि की समाप्ति के बाद मामले में एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो सकता है।

(4) प्राधिकरण खंड (3) के अधीन दिये गये आदेश की एक प्रति बीमा दलाल को प्रेषित करेगा।

36. निलंबन अथवा निरस्तीकरण के आदेश का प्रकाशन - विनियम 35 के उप-विनियम

(3) के अधीन दिये गये लाइसेंस के निरस्तीकरण अथवा निलंबन का आदेश एक अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे, में प्रकाशित किया जाएगा।

37. लाइसेंस के निरस्तीकरण अथवा निलंबन का प्रभाव - (1) लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल, एक बीमा दलाल के रूप में कार्य करना बंद करेगा।

(2) तथापि, बीमा दलाल पहले से अपने माध्यम से की गई संविदाओं की तामील छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उसके द्वारा उक्त संविदाओं के संबंध में अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था की जाएगी।

(3) इस प्रकार की स्थिति में प्राधिकरण विनियम 20 के अधीन जमा की गई बीमा दलाल की जमाराशि के निपटान के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसाकि वह उचित समझाता है।

38. सामान्य - (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से कोई भी व्यक्ति दलाल अथवा बीमा मध्यवर्ती के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता, जब तक इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता।

- (2) बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद को इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत की जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए प्राधिकरण अग्रसर हो सकता है।
- (3) बीमा संबंधी लेनदेनों के कारण उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद के संबंध में प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार प्रचलित होगा और बीमा संविदाओं के लिए लागू कानून प्रवर्तित किये जाएँगे तथा इस संबंध में सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/13/असा.]

अनुसूची ।

फार्म ए

[विनियम 4 और 11 देखें]

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण विनियम, 2013

लाइसेंस प्रदान करने/लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

1. यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए ।
2. यह आवश्यक है कि आवेदक प्राधिकरण को विधिवत् भरा गया आवेदन सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो ।
4. आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करें ।
5. जो सूचना अधिक विवरण के साथ देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए ।

आवेदक का नाम :

पता :

श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया गया है : प्रत्यक्ष दलाल (जीवन)/प्रत्यक्ष दलाल (जीवनेतर) /प्रत्यक्ष दलाल (संमिश्र)

संपर्क के लिए पता :

टेलीफोन संख्या :

फैक्स संख्या :

ई-मेल :

आवेदक का विवरण

- 1.1 आवेदक का नाम :
- 1.2 (क) पता - प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय :
-
-
-

पिन कोड : टेलीफोन सं.

ई-मेल : फैक्स सं. :

(ख) उन शाखा कार्यालयों के पते संलग्न करें जहाँ बीमा व्यवसाय की दलाली का कार्य प्रारंभ करना है

(ग) उन नई शाखाओं के स्थान जहाँ बीमा व्यवसाय बाद में प्रारंभ किया जाता है, समय-समय पर प्राधिकरण को सूचित किये जाने चाहिए।

(घ) प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

.....

उ. बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन।

2. व्यवसाय संबंधी सूचना :

- 2.1 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगी संस्थाओं के साथ आवेदक के 5% और उससे अधिक शेयर धारित करते हैं - केवल सीमित कंपनियों के लिए लागू हैं)

दिनांक को शेयरधारिता :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूँजी का प्रतिशत
-----------------	------------------------	-------------------------------------

2.2 निदेशकों का विवरण :-

नाम	योग्यता	बीमा सेवाओं और अन्य कंपनियों संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	अन्य कंपनियों में निदेशन	कोई अन्य जानकारी
-----	---------	--	--------------------------	------------------

2.3 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/संस्था का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित
---------------------	-----	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

क्या सहयोगी कंपनियों / संस्थाओं के किसी एक अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का आवेदक के व्यवसाय में हित निहित है ।

2.4 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

- 3.1 कार्यकलापों की अनुमानित मात्रा और आय (प्रत्याशित सहित) के साथ व्यवसाय की तीन वर्षीय योजना का दस्तावेज जिसके लिए लाइसेंस की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से दी जानी चाहिए । कृपया व्योरा संलग्न करें ।
- 3.2 कार्यात्मक दायित्वों को अलग से दर्शानेवाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाना चाहिए ।

3.3 प्रमुख प्रबंध कार्मिकों संबंधी विवरण

नाम	योग्यता	बीमा दलाली/ बीमा परामर्श/ जोखिम प्रबंध और अन्य सेवाओं में अनुभव व्योरा	नियुक्ति की तारीख	कार्यात्मक क्षेत्र
-----	---------	--	-------------------	--------------------

(इतिहास, प्रमुख घटनाएँ और वर्तमान गतिविधियाँ) (भारत के बाहर का अनुभव भी निर्दिष्ट किया जाए) :

3.4 आवेदक द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना।

4. वित्तीय सूचना

कृपया पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित वार्षिक विवरणियाँ संलग्न करें।

जहाँ लेखा-परीक्षा न की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, वहाँ कारण दर्शाएँ।

5. अन्य जानकारी, यदि कोई हो

5.1 सभी निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण :

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित / निपटाये गये
-----------------	----------------	---------------------

5.2 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक / निदेशकों, अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका व्योरा

5.3 किसी भी विनियामक निकाय द्वारा आवेदक के विरुद्ध की गई विनियामक कार्रवाइयों का विवरण

घोषणा

इस घोषणा पर दो निदेशकों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

- मैं/हम इसके द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।
- मैंने/हमने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हूँ/हैं कि मैं/हम बीमा दलाल के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ/हैं।

मैं/हम यह स्पष्ट करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो मेरे/हमारे लाइसेंस के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।

मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम लाइसेंस की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूँगा/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूँगा/करेंगे।

मैं/हम वचन देते हैं कि लाइसेंस के निरस्तीकरण अथवा उसका नवीकरण न होने के समय बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करूँगा/करेंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बीमा एजेंट का लाइसेंस बहिं है।

के लिए और उनकी ओर से

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में))

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में))

स्थान :

दिनांक :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण विनियम, 2013

फार्म बी

(विनियम 9 और 11 देखें)

लाइसेंस

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा

को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत दलाल
(श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें)

- के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।
2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट निम्न प्रकार से है

3. यह लाइसेंस से तक वैध होगा।

4. यह लाइसेंस अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अस्त्वा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

**बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से**

अनुसूची II

बीमा विनियामक/और विकास प्राधिकरण

बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण विनियम, 2013

आचरण-संहिता

(विनियम 19 दखें)

1. प्रत्येक दलाल व्यावसायिक आचरण के मान्यताप्राप्त मानकों का अनुसरण करेगा तथा पॉलिसीधारकों के हित में अपने कार्यों का निर्वाह करेगा।
2. ग्राहक-संबंध से संबंधित मामलों में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :
 - (क) हर समय अपने ग्राहकों से सर्वाधिक सद्व्यवहार और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;
 - (ख) सावधानी और कर्मठता के साथ कार्य करेगा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक यह समझे कि दलाल के साथ उसका क्या संबंध है और दलाल किसकी ओर से कार्य कर रहा है;
 - (घ) भावी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचना को पूर्णतः अपने तक और बीमाकर्ता(ओं) तक गोपनीय रखेगा जिन्हें व्यवसाय का प्रस्ताव किया जा रहा हो;
 - (ङ) अपने कब्जे में स्थित गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा;
 - (च) संबंध विकसित करने के लिए ग्राहक के विशिष्ट अधिकार को सुरक्षित रखेगा;
 - (छ) जिस ग्राहक के साथ वह व्यवहार कर रहा है, उसके प्रकार को तथा जोखिम और बीमे के संबंध में ग्राहक की जानकारी की सीमा को समझेगा;
 - (ज) बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित आदेश प्राप्त करेगा तथा बीमे को लागू करने के बाद ग्राहक को रक्षा प्रदान करने की सूचना देगा;
 - (झ) बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित आदेश प्राप्त करेगा;
 - (ञ) हितों के संघर्ष से बचेगा;

(ट) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा।

3. विक्रय प्रथाओं से संबंधित मामलों में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) इस बात की पुष्टि करेगा कि वह भारतीय बीमा दलाल संघ अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे दलालों के निकाय का सदस्य है जिसका प्राधिकरण के साथ सहमति जापन है;

(ख) यह पुष्टि करेगा कि वह व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए एजेंटों अथवा अनुयाचकों को नियुक्त नहीं करेगा;

(ग) स्वयं की पहचान करेगा तथा प्रस्ताव पर स्थित उत्पादों में विकल्प की श्रेणी को यथाशीघ्र स्पष्ट करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि वह जिस सेवा का प्रस्ताव कर सकता है उसके प्रकार को ग्राहक समझता है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित पॉलिसी भावी ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है;

(च) केवल उन्हीं विषयों में सलाह देगा जिनका वह जानकार है तथा जब आवश्यकता होगी तब परामर्श के लिए अन्य विशेषज्ञ से अपेक्षा करेगा अथवा उसकी सिफारिश करेगा;

(छ) किसी बीमाकर्ता अथवा भारतीय बीमा दलाल संघ के किसी सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित दलालों के ऐसे निकाय के सदस्य की अयथार्थ या अनुचित आलोचना नहीं करेगा;

(ज) यह स्पष्ट करेगा कि किसी पॉलिसी अथवा पॉलिसियों का प्रस्ताव क्यों किया गया है तथा जहाँ उत्पादों का विकल्प है वहाँ मूल्य, रक्षा अथवा सेवा के तौर पर तुलना उपलब्ध कराएगा;

(झ) यदि प्रस्तावित रक्षा तुरंत लागू नहीं की गई हो तो रक्षा की वह अवधि स्पष्ट करेगा जब तक भाव (कोटेशन) वैध रहेगा;

(ज) यह स्पष्ट करेगा कि प्रीमियम कब और कैसे देय है तथा ऐसे प्रीमियम का संग्रहण कैसे किया जाएगा, जहाँ प्रीमियम का पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषण दूसरा पक्षकार कर रहा है वहाँ उस पक्षकार के प्रति ग्राहक की संभावित देनदारी सहित ग्राहक को पूरा विवरण दिया जाएगा; तथा

(ट) हानि होने की स्थिति में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाएँ स्पष्ट करेगा।

(ठ) धन शोधन (मनी लांडरिंग) की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

4. सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल -

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटीकरण न करने और अयथार्थताओं के परिणाम भावी ग्राहक को बताये जाएँगे;

(ख) भावी ग्राहक को प्रभावित करने से बचेगा तथा यह स्पष्ट कर देगा कि दिये गये सभी उत्तरों अथवा वक्तव्यों की जिम्मदारी ग्राहक की स्वयं की होगी। दस्तावेजों में दी गई सूचना के ब्योरे की जाँच सावधानीपूर्वक करने के लिए ग्राहक से कहेगा तथा उस स्थिति में ग्राहक से निवेदन करेगा कि वह सही, उचित और पूरा प्रकटीकरण करे जहाँ उसे यकीन है कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है एवं यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उसे आगे की कार्रवाई करने से इनकार करने पर विचार करना चाहिए;

(ग) पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बीमे को प्रभावित कर सकने वाले सभी परिवर्ती परिवर्तनों के प्रकटीकरण का महत्व ग्राहक को स्पष्ट करेगा; तथा

(घ) अपनी जानकारी में स्थित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण ग्राहक की ओर से करेगा तथा जोखिम का एक उचित प्रस्तुतीकरण करेगा।

5. बीमा संविदा के स्पष्टीकरण से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :

(क) बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा;

(ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा दी जानेवाली रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करेगा ताकि भावी ग्राहक यथासंभव समझ सके कि क्या खरीदा जा रहा है;

(ग) बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये रूप में शर्तों को ठीक-ठीक उद्धृत करेगा;

(घ) पॉलिसी के अंतर्गत लगाई गई किसी भी वारंटी, प्रमुख अथवा असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा को कैसे निरस्त किया जा सकता है;

(ङ) तत्परतापूर्वक लिखित रूप में ग्राहक को इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि बीमे को लागू किया गया है। यदि इस पुष्टि के साथ अंतिम पॉलिसी वापस्यरचना सम्मिलित नहीं है तो इसे यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा;

(च) किसी भी बीमा संविदा की शर्तों में होनेवाले परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी परिवर्तन के लागू होने से पहले उचित रूप से नोटिस देगा;

(छ) अपने ग्राहकों को उनकी ओर से प्रस्तावित किसी भी बीमे की सूचना देगा जो भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता के साथ लागू किया जाएगा तथा जहाँ अनुमति दी गई हो वहाँ यदि उचित हो तो संबद्ध संभावित जोखिमों के बारे में सूचित करेगा; तथा

6. पॉलिसियों के नवीकरण से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक बीमे के समाप्त होने की तारीख जानता है, अले ही वह ग्राहक को आगे और रक्षा न देने के प्रस्ताव के विकल्प का चयन करता हो;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के प्रारंभ अथवा अंतिम नवीकरण की तारीख से घटित हो चुके ऐसे परिवर्तन जो पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, सूचित करने की आवश्यकता सहित, नवीकरण की सूचनाओं में प्रकटीकरण के कर्तव्य के बारे में एक चेतावनी निहित हो;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण की सूचनाओं में संविदा के नवीकरण के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना का अभिलेख (पत्रों की प्रतियों सहित) रखने की अपेक्षा निहित हो;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को समाप्ति की तारीख से काफी पहले बीमाकर्ता की ओर से नवीकरण का निमंत्रण प्राप्त हो।

7. ग्राहक द्वारा दावे के संबंध में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) ग्राहकों को तत्परतापूर्वक अपने दावे सूचित करने तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने और परवर्ती घटनाओं की सूचना यथाशीघ्र देने का उनका दायित्व स्पष्ट करेगा;

(ख) ग्राहक से सही, उचित और पूर्ण प्रकटीकरण करने का अनुरोध करेगा जहाँ उसे विश्वास हो कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है। यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो वह ग्राहक के लिए आगे और कार्य करने से इनकार करने पर विचार करेगा;

(ग) दावे से संबंधित किसी भी अपेक्षा के बारे में ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा;

(घ) किसी दावे अथवा दावा उत्पन्न करनेवाली किसी घटना के संबंध में ग्राहक से प्राप्त कोई भी सूचना अविलंब, परंतु किसी भी स्थिति में तीन कार्यदिवसों के अंदर प्रेषित करेगा;

(ङ) किसी दावे के संबंध में बीमाकर्ता के निर्णय अथवा अन्यथा स्थिति के संबंध में ग्राहक को अविलंब सूचित करेगा; तथा अपने दावे के संबंध में अनुसरण करने में ग्राहक की हर प्रकार से यथोचित सहायता करेगा।

बशर्ते कि बीमा दलाल ऐसी किसी पॉलिसी संविदा के संबंध में वसूली का कार्य हाथ में नहीं लेगा जिसके संबंध में उसके माध्यम से व्यवस्था नहीं की गई है तथा उसे ऐसी किसी पॉलिसी के संबंध में दावा परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जिसके संबंध में उसके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है।

8. शिकायतें प्राप्त करने से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदेश पत्रों, पॉलिसियों और नवीकरण दस्तावेजों में शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाएँ निहित होंगी;

(ख) शिकायतें फोन पर अथवा लिखित में स्वीकार करेगा;

(ग) शिकायत प्राप्त होने की सूचना पत्राचार की प्राप्ति से छोदह दिनों के अंदर भेजेगा तथा शिकायत के संबंध में कार्रवाई करनेवाले स्टाफ-सदस्य को उस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सारणी के साथ सूचित करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जवाबी पत्र भेजे जाएँगे तथा शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि यदि जवाबी पत्र से वह असंतुष्ट है तो वह क्या कर सकता है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर उचित रूप से वरिष्ठ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी;

(च) शिकायतों को दर्ज करने और उनपर निगरानी रखने के लिए उसके पास एक प्रणाली विद्यमान होगी।

9. प्रलेखीकरण के संबंध में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि जारी किये गये कोई भी दस्तावेज समय-समय पर प्रचलित सभी सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार होंगे;

(ख) पॉलिसी प्रलेख परिहार्य विलंब के बिना भेजेगा;

(ग) पॉलिसी प्रलेखों के साथ यह सूचना उपलब्ध कराएगा कि ग्राहक द्वारा प्रलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए और उन्हें सँभालकर रखा जाए;

(घ) ग्राहकों की सहमति के बिना उनसे प्राप्त प्रलेखों को रोक नहीं रखेगा जब तक कि ग्राहक को पर्याप्त और उचित कारण लिखित मैं और अविलंब प्रकट न किये जाएँ। जहाँ प्रलेखों को रोक रखा जाता है, वहाँ भी ग्राहक को बीमा संबंधी पूरा विवरण अवश्य प्राप्त होना चाहिए;

- (ङ) बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियों की प्राप्ति-सूचना भेजेगा;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर तत्परतापूर्वक भेजे जाएँ तथा सभी पत्रों के लिए त्वरित उत्तर प्राप्त होने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा; तथा
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लिखित शर्तें उचित विषय-वस्तु से युक्त होंगी तथा उनमें ग्राहकों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में निर्दिष्ट होंगी; तथा
- (ज) अपने को देय किसी भी धनराशि के भुगतान के अधीन, ग्राहक द्वारा बताये गये किसी नये बीमा दलाल को वे सभी प्रलेख उपलब्ध कराएगा जिनके लिए ग्राहक हकदार है तथा ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नये बीमा दलाल को जिनकी आवश्यकता है।

10. विज्ञापन से संबंधित मामलों में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के संबंधित उपबंधों के अनुसार होगा, तथा :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि दिये गये वक्तव्य भ्रमजनक और अतिरंजक नहीं हैं;
- (ख) जहाँ उपयुक्त हो वहाँ संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान करने के लिए बीमा पॉलिसी बाध्य है तथा गैर-संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान किया जा सकता है, के बीच भेद दिखालायेगा;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन केवल एक बीमाकर्ता की पॉलिसियों तक ही सीमित नहीं होंगे, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ ऐसे प्रतिबंध के लिए कारण उस बीमाकर्ता के पूर्व-अनुमोदन से पूरी तरह स्पष्ट नहीं किये जाते हों;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापनों में ऐसा कुछ भी निहित नहीं होगा जिससे कानून का उल्लंघन होता है अथवा कानून द्वारा अपेक्षित कोई बात उनमें से नहीं छूटेगी;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन से कानून की अवजा अथवा उल्लंघन को प्रोत्साहन या छूट नहीं मिलती;

- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि आम तौर पर औचित्य और मर्यादा के प्रचलित मानकों के आलोक में विज्ञापनों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिनके कारण गंभीर और व्यापक अपराध अथवा अव्यवस्था के उत्पन्न होने की संभावना हो;
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन इस प्रकार तैयार नहीं किये जाएँगे जिससे ग्राहकों के विश्वास का दुरुपयोग हो सके अथवा उनके पास अनुभव और जानकारी न होने का अनुचित लाभ उठाया जा सके;
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि वस्तुनिष्ठ रूप से जानने योग्य तथ्यों के मामलों से संबंधित सभी विवरण, दावे और तुलनाएँ प्रमाणीकरण के लिए सक्षम होंगी।

11. पारिश्रमिक की प्राप्ति से संबंधित मामलों में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह प्रकट करेगा कि क्या वह इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त ग्राहक से प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव करता है, और यदि ऐसा है तो किस प्रकार से;
- (ख) ग्राहक को बीमा प्रीमियम और किसी शुल्क अथवा प्रभार तथा किसी संबंधित सेवा के प्रयोजन के विषय में अलग से लिखित में सूचित करेगा;
- (ग) यदि ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो पारिश्रमिक की राशि अथवा उस ग्राहक के लिए बीमा लागू करने के परिणामस्वरूप प्राप्त की जानेवाली अन्य पारिश्रमिक की राशि प्रकट करेगा। इसमें बीमा संविदा की व्यवस्था के अतिरिक्त ग्राहक की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रदान की गई किसी भी सेवा के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी भुगतान शामिल होगा; तथा
- (घ) बीमा लागू करने से पहले, ग्राहक के लिए वसूल की गई दावे की राशि में से कोई कटौती करने के लिए ग्राहकों की इच्छा उन्हें सूचित करेगा, जहाँ संबंधित बीमे के प्रकार के लिए यह मान्यताप्राप्त प्रथा है।

12. प्रशिक्षण संबंधी मामलों से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्टाफ इस संहिता द्वारा उनसे प्रत्याशित मानकों को जानता है और उनका यालन करता है;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ सक्षम और उपयुक्त हैं तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ द्वारा दिये गये परामर्श की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली विद्यमान है;

- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ के सदस्य अपने कार्यकलापों को प्रभावित करनेवाले एजेंसी के कानून सहित कानूनी अपेक्षाओं के जानकार हैं; तथा वे केवल उन्हीं श्रेणियों के व्यवसाय को संभालेंगे जिनमें वे सक्षम हैं;
- (ङ) अधिनियम की धारा 41 की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेगा जो कमीशन में छूट और हिस्सेदारी को प्रतिबंधित करती है।

13. प्रत्येक बीमा दलाल ऐसे प्रत्येक कार्यालय में जहाँ वह कारोबार संचालित कर रहा है और जहाँ जनसाधारण की पहुँच है, इस आशय की एक नोटिस प्रदर्शित करेगा कि अनुरोध करने पर आचरण-संहिता की प्रति उपलब्ध है तथा यदि जनता का कोई सदस्य कोई शिकायत करना चाहता है अथवा किसी विवाद का समाधान करने में प्राधिकरण से सहायता की अपेक्षा करता है तो वह प्राधिकरण को लिख सकता है।
14. इन विनियमों में यथापरिभाषित बीमा दलाल अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत किसी भी बीमाकर्ता के बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा।
15. प्रत्येक बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा जो बीमा दलालों के रूप में उनके द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों पर लागू हो सकते हैं और उनके लिए संगत हैं।

अनुबंध-।

1.1 नया दलाल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रलेखीकरण और प्रक्रियागत अपेक्षाएँ

क. भरे गए आवेदन की प्रस्तुति ।

1. फार्म ए मैं की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना का प्रस्तुतीकरण जिसका फार्मेट बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध है [www.irdaindia.gov.in] ।
2. आवेदन फार्मेट का भाग बननेवाली घोषणा पर दो निदेशकों के हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

ख. दस्तावेज / अपेक्षाएँ ।

1. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 के विनियम 16 के अंतर्गत निर्धारित रूप में हैदराबाद में देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा आवेदित बीमा दलाल की श्रेणी के अनुसार आवश्यक शुल्क का प्रेषण ।
2. विनियम 7(2)(च) में निर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक द्वारा कदम उठाये जाने चाहिए । बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 की धारा 7(2)(च) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण की आवश्यकता एक ऐसी अपेक्षा है जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए ताकि लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी आवेदन पर विचार किया जा सके ।

3. विनियम 7 के अनुसार अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए दलाल कंपनी में एक प्रधान अधिकारी होना चाहिए ।
4. इस संबंध में सूचना अपेक्षित है कि क्या आवेदक कंपनी के साथ संबद्ध कोई भी व्यक्ति निदेशक/शेयरधारक/प्रवर्तक/प्रमुख प्रबंध कार्मिक अथवा कर्मचारी के रूप में अपनी हैसियत में कोई बीमा एजेंसी अथवा बीमा सर्वेक्षक का लाइसेंस धारण कर रहा है । यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए । विनियमों के अनुसार कोई भी एजेंट अथवा सर्वेक्षक एक दलाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता । आवेदक को चाहिए कि वह एजेंसियों को रद्द करने के लिए कदम उठाये और प्राधिकरण को इसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करे ।
5. सभी निदेशकों की पिछली और वर्तमान गतिविधियों पर विशेष बल देते हुए उनका विस्तृत सीधी ।
6. प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के विस्तृत सीधी और शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित प्रतिलिपियाँ ।
7. प्रधान अधिकारी इस आशय का प्रमाणीकरण करते हुए विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र (अफिडविट) प्रस्तुत करे कि आवेदक (कंपनी के निदेशक, प्रधान अधिकारी, प्रमुख प्रबंध कार्मिक तथा कर्मचारी) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से ग्रस्त नहीं हैं ।
8. आवेदक कंपनी के सभी शेयरधारकों की सूची (वर्तमान एवं प्रस्तावित)।
9. उन कर्मचारियों की सूची जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे, उनकी शैक्षणिक अर्हताओं और उन बैंक शाखाओं के द्वयोरे के साथ जहाँ बीमा व्यवसाय की अपेक्षा की जाती है।
10. सांविधिक लेखा-परीक्षकों का विवरण ।
11. आवेदक के संबंध में उसके/उनके द्वारा पारित बोर्ड संकल्प प्रस्तुत करें ।
12. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र प्रस्तुत करें ।
13. इस बात का स्पष्टीकरण कि एक बार बीमा दलाल के क्षेत्र में पहुँचने के बाद वह अपने वर्तमान ग्राहकों/व्यवसाय/देयताओं के संबंध में किस प्रकार व्यवहार करने का प्रस्ताव करता है।

14. पूर्वानुमानित 3 वर्षों के लिए प्रशासनिक व्ययों, वेतन और मजदूरी तथा अन्य व्ययों, राजस्व खाते से आहरण, लाभ-हानि लेखा और तुलन-पत्र।
15. आईटी, जोखिम अंकन, जोखिम निर्धारण, दावों का निपटान, विपणन, खातों, बैंक ऑफिस आदि जैसी कंपनी की गतिविधियों का समग्र चित्र प्रस्तुत करनेवाला संगठन चार्ट।
16. जोखिम निर्धारण, जोखिम अंकन और दावा प्रबंध आदि क्षेत्रों की अच्छी जानकारी और कार्यानुभव से युक्त साधारण और जीवन बीमा की पृष्ठभूमि से भरती किये गये अनुभवी कार्मिकों की सूची। इस प्रकार चयनित लोगों का विस्तृत सीवी, उनके नियुक्ति-पत्रों/कार्यग्रहण पत्रों सहित उनकी शैक्षणिक अहताओं की प्रतियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
17. बीमा व्यवसाय की वृद्धि और उसके संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के स्वरूप से संबंधित कोई अन्य सूचना अभिलिखित करें।
18. कोई अन्य अपेक्षाएँ जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जाएँगी।

ग. वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण

निर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी करने के बाद आवेदक से अपेक्षित है कि वह आवेदन के संबंध में व्यावसायिक योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो जाए।

दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं। आवेदित लाइसेंस की श्रेणी, शेयरधारिता के स्वरूप, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013 के अनुसार अपेक्षित अनुपालन संबंधी कोई अन्य विषय एवं प्राधिकरण की राय के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना दी जाएगी।

अनुबंध 2

बीमा दलालों द्वारा नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज

1. विधिवत् भरा हुआ फार्म-ए (आवेदन फार्म) ।
2. कंपनी के एक निदेशक और प्रधान अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नवीकरण संबंधी जाँच-सूची ।
3. नवीकरण शुल्क के लिए मॉग ड्राफ्ट (डीडी) ।
4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के अनुपालन में विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र (अफिडिविट)।
5. प्रधान अधिकारी द्वारा निष्पादित वचन-पत्र ।
6. प्रधान अधिकारी द्वारा प्राप्त 25 घंटों के नवीकरण प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र ।
7. सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित कंपनी की शेयरधारिता का स्वरूप ।
8. संगठन की संरचना और चार्ट ।
9. कारपोरेट कार्यालय का विवरण, उन बैंक शाखाओं की सूची के साथ जहाँ बीमा व्यवसाय की अपेक्षा की गई है ।
- 10.उन कर्मचारियों की सूची जो कंपनी की ओर से व्यवसाय की अपेक्षा करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं ।
- 11.अगले तीन वर्षों के लिए राजस्व और व्यय सहित व्यवसाय की योजना और पूर्वानुमान ।
- 12.पिछले तीन वर्षों के लिए व्यवसाय प्रीमियम के आकड़े और शीर्षस्थ 10 ग्राहकों की सूची ।
- 13.ग्रहणाधिकारकीपुष्टिकरतेहुएबैंकसेप्राप्तपत्रकेसाथमीयादीजमारसीदकीप्रति।
- 14.पिछलेतीनवर्षोंकेलिएव्यावसायिकक्षतिपूर्तिबीमापॉलिसियोंकीप्रतियाँ।
- 15.नकदी-प्रवाहविवरणोंकेसाथपिछलेतीनवर्षोंकीवार्षिकरिपोर्टोंकीप्रतियाँ।
- 16.आवेदककेसंबंधमेंविशिष्टकोईअन्यदस्तावेज।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 19th July, 2013

Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./21/79/2013.—In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and sections 42D and 42E of Insurance Act, 1938, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement**—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions**—(1) Unless the context otherwise requires,—
 - (a) 'Act' means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - (b) 'Advisory Committee' means the Advisory Committee constituted under section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act (41 of 1999);
 - (c) 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - (d) 'Direct Broker' means an insurance broker who is either Direct Broker Composite, or Direct Life or Direct Broker Non-Life;
 - (e) 'Direct Broker Composite' means an insurance broker who for the time-being licensed by the Authority to act as such, for a remuneration carries out the functions as specified under regulation 3 in the field of life insurance and general insurance on behalf of his clients;
 - (f) 'Direct Broker Life' means an insurance broker who for the time-being licensed by the Authority to act as such, for a remuneration carries out the functions as specified under regulation 3 in the field of life insurance on behalf of his clients;
 - (g) 'Direct Broker Non-Life' means an insurance broker who for the time-being licensed by the Authority to act as such, for a remuneration carries out the functions as specified under regulation 3 in the field of general insurance on behalf of his clients;
 - (h) 'Enquiry Officer' means an officer of the Authority, or any other person having experience in insurance business, who is appointed by the Authority under regulation 34, to hold an enquiry against an insurance broker;
 - (i) 'Form' means the forms specified under these regulations;
 - (j) 'Inspecting Authority' means one or more of its officers appointed by the Authority to discharge the functions stated in regulation 26;
 - (k) 'Insurance Broker' means a person for the time-being licensed by the Authority under regulation 9, who for a remuneration arranges insurance contracts with insurance companies on behalf of his clients.

Explanation: The term 'insurance broker' wherever it appears in these regulations shall be deemed to mean a direct broker;
[Add definition of Direct Broker]

- (l) 'Person' means— A Scheduled Bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934
- (m) 'Principal Officer' means — a general manager or equivalent cadre of the respective licensed entity appointed exclusively to carry out the functions of an insurance broker and positioned at corporate office.
- (n) 'Regulations' means Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013;

- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), Insurance Regulatory and Development Authority(Insurance Brokers) Regulations, 2002 and Insurance Regulatory and Development Authority(Insurance Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2002 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules and regulations made thereunder, as the case may be.

- 3. **Functions of a direct broker** —The functions of a direct broker shall include the following:
 - (a) obtaining detailed information of the client's business and risk management philosophy;
 - (b) familiarising himself with the client's business and underwriting information so that this can be explained to an insurer and others;
 - (c) rendering advice on appropriate insurance cover and terms;
 - (d) maintaining detailed knowledge of available insurance markets, as may be applicable;
 - (e) submitting quotation received from insurer/s for consideration of a client;
 - (f) providing requisite underwriting information as required by an insurer in assessing the risk to decide pricing terms and conditions for cover;
 - (g) acting promptly on instructions from a client and providing him written acknowledgements and progress reports;
 - (h) assisting clients in paying premium under section 64VB of Insurance Act, 1938 (4 of 1938); the provisions of section 64 VB of the act shall continue to determine the question of assumption of risk by an insurer
 - (i) assisting in the negotiation of the claims; and
 - (j) maintaining proper records of claims;

4. Application for grant of licence — (1) An application by a person for grant of a licence as an insurance broker shall be made in Form A to the Authority.

- (2) The application under sub-regulation (1) shall be made for direct broker category, along with the requisite fees as specified in regulation 16.
- (3) The applicant under sub-regulation (1) shall have obtained the prior approval of Reserve Bank of India before applying for licence to act as insurance broker.

5. Application to conform to the requirements -An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the Form A and these regulations, shall be rejected.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

[The documentation & procedural requirements for obtaining fresh broker license is annexed to these regulations at Annexure-I.]

6. Furnishing of information, clarification and personal representation — (1) The Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.

- (2) The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with an application.
- 7. Consideration of application** — (1) The Authority while considering an application for grant of a licence shall take into account, all matters relevant to the carrying out of the functions by the insurance broker:
- (2) Without prejudice to the above, the Authority in particular, shall take into account the following, namely:-
- a) whether the applicant is not suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Act;
 - b) whether the applicant has the necessary infrastructure, such as, adequate office space, equipment and trained manpower to effectively discharge his activities;
 - c) whether the applicant has in his employment a minimum of two persons who have the necessary qualifications specified in clause (f) below and experience to conduct the business of insurance broker;
 - d) whether any person, directly or indirectly connected with the applicant, has been refused in the past the grant of a licence by the Authority.
 - a. *Explanation* : — For the purposes of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group company of the applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or The Competition Act, 2002, as the case may be.
 - e) whether the applicant fulfills the deposit requirements as specified in regulation 20;
 - f) whether the principal officer of the applicant has received at least one hundred hours of theoretical and practical training from an institution recognized by the Authority from time to time, and has passed an examination, at the end of the period of training mentioned above, conducted by the National Insurance Academy, Pune or any other examining body recognised by the Authority.
- Provided that where the principal officer of the applicant is an Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or Associate/ Fellow of the CII, London; or Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; the theoretical and practical training from an institution recognised by the Authority from time to time according to a syllabus approved by the Authority shall be fifty hours.
- g) whether the principal officer has not violated the code of conduct as specified in Schedule II to these regulations;
 - h) the applicant is allowed to do insurance broking in addition to their main objects; and
 - i) the Authority is of the opinion that the grant of licence will be in the interest of policyholders.
- (3) Any employee responsible for soliciting and procuring insurance business on behalf of an insurance broker shall also have to fulfill the requirements mentioned in sub-regulation 2(f) above and a list of such employees need to be provided to the Authority and acknowledged by it.
- 8. Requirements of Capital**— (1) There is no requirement of capital for insurance broking business for entities licensed under the IRDA(Licensing of banks as Insurance brokers)Regulation 2013
- a) the applicant shall be permitted to carry on the business of an insurance broker as licensed under these regulations in addition to their main objects.
 - b) the calculation of non-Indian interest in the applicant company shall be as per the limits applicable to banking sector as decided from time to time by Government of India / Reserve Bank of India.
- 9. Procedure for licensing** — The Authority on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for the grant of licence, shall grant a licence in Form B and send an intimation thereof to the applicant mentioning the category for which the Authority has granted the licence. The licence shall be issued subject to the insurance broker adhering to the conditions and the code of conduct as specified by the Authority from time to time.

10. Validity of licence— A licence once issued shall be valid for a period of three years from the date of its issue, unless the same is suspended or cancelled pursuant to these regulations.

11. Renewal of licence —(1) An insurance broker may, within thirty days before the expiry of the licence, make an application in Form A to the Authority for renewal of licence.

Provided however that if the application reaches the Authority later than that period but before the actual expiry of the current licence, an additional fee of rupees one hundred only shall be payable by the applicant to the Authority.

Provided further that the Authority may for sufficient reasons offered in writing by the applicant for a delay not covered by the previous proviso, accept an application for renewal after the date of the expiry of the licence on a payment of an additional fee of seven hundred and fifty rupees only by the applicant.

(2) Principal Officer and employees responsible for soliciting insurance business of an insurance broker before seeking a renewal of licence, shall have completed, at least twenty five hours of theoretical and practical training, imparted by an institution recognized by the Authority from time to time.

(3) The application for a renewal, under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as is specified under regulation 7.

(4) The Authority, on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for a renewal of the licence, shall renew the licence in Form B for a period of three years and send intimation to that effect to the applicant.

[Explanation: where a broker has submitted a renewal application in terms of regulation 11 and the applicant does not suffer from any of the disqualifications specified in sub-section 3 and 5 of section 42D of the Insurance Act, 1938 and that IRDA has not taken any adverse action against the said company as on the date of renewal and/or on the date of receipt of the renewal application, the Authority may issue a letter to the said broker for continuation of its functions for the next 90 days (w.e.f. date of due renewal) if the license is not renewed from the due date of renewal on time. If there are any other administrative reasons or any further delay in the renewal of the license, Authority may inform to the broker for such continuation of its business. It is made clear that the insurers shall not withhold remuneration of the broking companies during the period such a continuation letter issued by the IRDA.]

[The documentation & procedural requirements for obtaining renewal broker license is annexed to these regulations at Annexure-II.]

12. Procedure where a licence is not granted —(1) Where an application for grant of a licence under regulation 4 or of a renewal thereof under regulation 11, does not satisfy the conditions set out in regulation 7, the Authority may refuse to grant the licence.

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The refusal to grant a licence shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(3) Any applicant, if aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.

(4) The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the applicant in writing within six weeks of the receipt thereof.

(5) In case the license issued under regulation 9 is cancelled/surrendered or refused to renew for the reasons specified, the applicant has to wait for applying afresh for a period of one

year from the date of such cancellation/surrender or rejection of renewal of license for consideration of the Authority.

13. Effect of refusal to grant licence — Any applicant, whose application for grant of a licence under regulation 4 or of a renewal thereof under regulation 11 has been refused by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under regulation 12(2) cease to act as an insurance broker. He, however, shall continue to be liable to provide services in respect of contracts already entered into through him. Such a service shall continue only upto the period of expiry of those current contracts, details of which shall be disclosed to the Authority on receipt of the communication under regulation 12.

14. Issue of a duplicate licence — (1) In the event of a licence being lost or destroyed or mutilated, an insurance broker shall submit to the Authority an application alongwith a fee of rupees one thousand requesting for the issue of a duplicate licence and with a declaration giving full details regarding the issue of the licence and its loss or destruction or mutilation.

(2) The Authority, after satisfying itself that the original licence has been lost, destroyed or mutilated, shall issue a duplicate licence in Form B with an endorsement thereon that it is a duplicate one.

15. Action against a person acting as an insurance broker without a valid licence—

(1) Notwithstanding and without prejudice to initiation of any criminal proceedings against any person, who acts as an insurance broker without holding a valid licence issued under these regulations, the Authority may invoke against such a person penal action under the Act or any other law for the time being in force

(2) Where the person falling under sub-regulation (1), is a company or firm or body corporate, without prejudice to any other proceedings which may be taken by the Authority against the company or firm or body corporate, every director, manager, secretary or other officer of the company or body corporate, and every partner of the firm, who is knowingly a party to such a contravention shall also be liable to be proceeded against.

16. Payment of fees and the consequences of failure to pay fees — (1) Every insurance broker shall at the time of application of license pay non-refundable application fees as shown below:

Category of Insurance broker	Amount of licence fee payable
Direct broker	Rs.25,000

(2) Every Insurance broker shall pay annual fees as set out below:

Category of insurance broker	Amount of licence fee payable per annum
Direct broker	A sum calculated at the rate of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.25,000 and maximum of Rs.100,000.

The annual licence fee as specified above shall be paid before the expiry of 15 days from the finalization of the annual audited accounts of the broker or 30th Sep whichever is earlier.

(3) Every insurance broker shall pay a renewal fee of Rs5000 (Rupees Five thousand only) alongwith the application for renewal of license.

(4) The fees shall be payable by an Account Payee draft in favour of "The Insurance Regulatory and Development Authority" payable at Hyderabad.

(5) Where an insurance broker fails to pay the annual fees payable under sub-regulation (2), the Authority may suspend the licence, whereupon the insurance broker shall cease to carry on business for the period during which the suspension subsists.

17. Remuneration — (1) No insurance broker shall be paid or contract to be paid by way of remuneration (including royalty or licence fees or administration charges or such other compensation), an amount exceeding the limits as specified/notified by the Authority in the circulars/regulations issued in this behalf.

Explanation: No brokerage can be paid in respect of an insurance where agency commission is payable and likewise, no agency commission can be paid in respect of an insurance where brokerage is payable.

(2) The settlement of accounts by insurers in respect of remuneration of brokers shall be done on a monthly basis and it must be ensured that there is no cross settlement of outstanding balances.

18. Ceiling on business from single client — (1) The business of the insurance broker shall be carried in such a manner that, not more than 50 percent of the premium (quantum, receipts, etc. as the case may be) shall emanate from any one client.

Note: For the purposes of this regulation, the term "client" shall include, in the case of a firm or a company, an associate or a subsidiary or a group concern under the same management.

(2) Not more than 25 per cent of the insurances handled by the insurance broker in any financial year is placed with the insurance company within the promoter group separately for life and for general insurance business. In addition, the other terms and conditions as envisaged in memorandum on Corporate Houses Promoting Insurance Broking Companies in addition to doing insurance business issued vide circular no.063/IRDA/Memo/07-08 dated 18.3.2008 are also applicable to applicants licensed under these regulations.

(3) The decision of the Authority as to whether a company, a business or an organisation is under the same management shall be final.

19. Code of conduct — Every insurance broker shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule II.

20. Deposit requirements — (1) Every insurance broker shall before the commencement of his business, deposit and keep deposited with any scheduled bank a sum of Rs.50 lakhs;

(2) The deposit shall have a lien with IRDA

(3) The fixed deposit shall not be released to him unless the prior permission of the Authority is obtained;

(4) Every insurance broker shall furnish to the Authority as and when called upon to do so a statement certified by the Bank in which such fixed deposit is kept.

21. Professional indemnity insurance — (1) Every insurance broker shall take out and maintain and continue to maintain a professional indemnity insurance cover throughout the validity of the period of the licence granted to him by the Authority.

Provided that the Authority shall in suitable cases allow a newly licensed insurance broker to produce such a guarantee within fifteen months from the date of issue of original licence.

(2) The insurance cover must indemnify an insurance broker against

- (a) any error or omission or negligence on his part or on the part of his employees and directors;
- (b) any loss of money or other property for which the broker is legally liable in consequence of any financial or fraudulent act or omission;
- (c) any loss of documents and costs and expenses incurred in replacing or restoring such documents;
- (d) dishonest or fraudulent acts or omissions by brokers' employees or former employees.

(3) The indemnity cover —

- (a) shall be on a yearly basis for the entire period of licence;
- (b) shall not contain any terms to the effect that payments of claims depend upon the insurance broker having first met the liability;
- (c) shall indemnify in respect of all claims made during the period of the insurance regardless of the time at which the event giving rise to the claim may have occurred.

Provided that an indemnity insurance cover not fully conforming to the above requirements shall be permitted by the Authority in special cases for reasons to be recorded by it in writing.

- (4) Limit of indemnity for any one claim and in the aggregate for the year in the case of insurance brokers shall be three times remuneration received from the broking operations at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees fifty lakhs and a maximum of rupees fifty crores.
- (5) The un-insured excess in respect of each claim shall not exceed five percent of the capital employed by the insurance broker in the business.
- (6) The insurance policy shall be obtained from any registered insurer in India who has agreed to—
- provide the insurance broker with an annual certificate containing the name and address, including the licence number of the insurance broker, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority;
 - send a duplicate certificate to the Authority at the time the certificate is issued to the insurance broker ; and
 - inform the insurer immediately of any case of voidance, non-renewal or cancellation of cover mid-term.
- (7) Every insurance broker shall—
- inform immediately the Authority should any cover be cancelled or voided or if any policy is not renewed;
 - inform immediately the insurer in writing of any claim made by or against it;
 - advise immediately the insurer of all circumstances or occurrences that may give rise to a claim under the policy ; and
 - advise the Authority as soon as an insurer has notified that it intends to decline indemnity in respect of a claim under the policy.

22. Maintenance of books of account, records, etc. — (1) Every insurance broker shall prepare for every accounting year a separate books of accounts for their insurance broking operations

- a balance sheet or a statement of affairs as at the end of each accounting period;
- a profit and loss account for that period;
- a statement of cash/fund flow;
- additional statements on insurance broking business as may be required by the Authority.

Note: For purposes of this regulation, the accounting year shall be a period of 12 months (or less where a business is started after 1st April) commencing on the first day of the April of an year and ending on the 31st day of March of the year following, and the accounts shall be maintained on accrual basis.

- These books of accounts have to be audited separately by a qualified Chartered Accountant.
- Every insurance broker shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements as stated in sub-regulation (1) alongwith the auditor's report thereon within ninety days from the close of the accounting year alongwiththe remarks or observations of the auditors, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc., and a suitable explanation on such observations shall be appended to such accounts filed with the Authority.
- Every insurance broker shall, within ninety days from the date of the Auditor's report take steps to rectify any deficiencies, made out in the auditor's report and inform the Authority accordingly.
- All the books of account, statements, document, etc., shall be maintained at the head office of the insurance broker or such other branch office as may be designated by him and notified to the Authority, and shall be available on all working days to such officers of the Authority, authorised in this behalf by it for an inspection.
- All the books and documents, statements, contract notes etc., referred to in this regulation and maintained by the insurance broker shall be retained for a period of atleast ten years from the end of the year to which they relate.

23. Submission of half-yearly results — (1) Every insurance broker shall before 31st October and 30th April each year furnish to the Authority a half-yearly un- audited financial statement

containing details of performance, financial position, etc., alongwith a declaration confirming the deposit requirements in accordance with the provisions of regulation 20.

(2) Failure to comply with the regulation of sub-regulation (1) will lead to an action, in accordance with the provisions of regulation 31 being taken against the insurance broker.

24. Internal control and systems — Every insurance broker shall ensure that a proper system of internal audit is practised in business and that his internal controls and systems are adequate for the size, nature and complexity of his business.

25. Disclosures to the Authority — (1) An insurance broker shall disclose to the Authority, as and when required by it, in any event not later than thirty days of a requisition, the following information, namely—

- (i) his responsibilities with regard to the placement of an insurance contract;
- (ii) any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the licence granted to it;
- (iii) the names of the clients whose insurance portfolio he manages or has managed;
- (iv) any other requirement specified by the Authority from time to time.

(2) Insurance Brokers licensed under these regulations shall be required to furnish information to the Authority in the forms specified in Insurance Regulatory and Development Authority(Insurance Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013.

26. Authority's right to inspect — (1) The Authority may appoint one or more of its officers as an "inspecting authority" to undertake inspection of the premises of the insurance broker to ascertain and see how the business is carried on, and also to inspect the books of accounts, records and documents of the insurance broker for any of the purposes specified in sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be as follows, namely : —

- (i) to ensure that the books of account are being maintained in the manner required;
- (ii) to ensure that the provisions of the Act, rules, regulations are being complied with;
- (iii) to investigate the complaints received from any insured, any insurer, other insurance brokers or any other person on any matter having a bearing on the activities of the insurance broker; and
- (iv) to investigate the affairs of the insurance broker *suomoto* in the interest of proper development of insurance business or in policy holders' interest.

27. Notice before inspection — (1) Before undertaking an inspection under regulation 26, the Authority shall give a notice of ten days to an insurance broker for that purpose.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Authority is satisfied that in the interests of the policyholders no such notice shall be given, it may, for reasons recorded in writing, direct that the inspection of the affairs of the insurance broker be taken up without such notice.

(3) The insurance broker shall allow the inspecting authority to have full access to the premises occupied by such insurance broker or by any other person on his behalf and also extend all facilities for examining books, records, documents and computer data in the possession of the insurance broker.

(4) The inspecting authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record statements of any principal officer or employee of the insurance broker and have the powers to seize or make copies of documents/ records.

(5) It shall be the duty of every such person to give to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection which the insurance broker may reasonably be expected to give.

(6) Failure to comply with the requirements of the Authority in this regard or failure to cooperate with the inspecting officers shall result in suspension of licence.

28. Submission of report to the Authority —The inspecting authority shall submit an inspection report to the Authority within 90 days of the completion of the inspection.

29. Communication of findings, etc.—(1) The Authority shall, after consideration of the inspection report, communicate its findings to the insurance broker and give him a reasonable opportunity of being heard before any action is taken by the Authority on the findings of the inspecting authority.

(2) On receipt of the explanation, if any, from the insurance broker, the Authority may direct the insurance broker to take such measures as the Authority may deem fit.

30. Appointment of investigator —(1) The Authority may appoint a chartered accountant or an actuary or any qualified and experienced individual in the field of insurance to investigate the books of accounts or the affairs of the insurance broker.

Provided that the person so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as are mentioned in regulation 26 and the obligations of the insurance broker in regulation 26 shall be applicable to the investigation under this regulation.

Explanation- For the purposes of this regulation the expression "chartered accountant" shall have the same meaning as given in Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and the expression 'actuary' shall mean a member of the Institute of Actuaries of India.

(2) The expenses and costs of such an investigation shall be recovered by the Authority from the insurance broker whose affairs had been caused to be investigated.

31. Cancellation or suspension of licence with notice — (1) The licence of an insurance broker may be cancelled or suspended after due notice and after giving him a reasonable opportunity of being heard if he —

- (a) violates the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory And Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or rules or regulations, made thereunder;
- (b) fails to furnish any information relating to his activities as an insurance broker as required by the Authority;
- (c) furnishes wrong or false information; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a licence;
- (d) does not submit periodical returns as required by the Authority;
- (e) does not co-operate with any inspection or enquiry conducted by the Authority;
- (f) fails to resolve the complaints of the policy holders or fails to give a satisfactory reply to the Authority in this behalf;
- (g) indulges in rebates or inducements in cash or kind to a client or any of the client's directors or other employees or any person acting as an introducer;
- (h) is found guilty of misconduct or his conduct is not in accordance with the Code of Conduct specified in Schedule II;
- (i) fails to pay the fees or the reimbursement of expenses under these regulations;
- (j) violates the conditions of licence;
- (k) does not carry out his obligations as specified in the regulations;
- (l) if the principal officer does not acquire practical training and pass the examination within the stipulated period as specified in regulation 7.

(2) In the circumstances where the Authority feels that the establishment of an insurance broker is only to divert funds within a group of companies or their associates, it can after due enquiries made by it cancel the licence granted to the insurance broker.

32. Cancellation or suspension of licence without notice — The licence of an insurance broker may be cancelled or suspended without notice, if he —

- (a) violates any one or more of the requirements under the code of conduct specified in Schedule II;
- (b) is found guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence;
- (c) commits such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority, provided that the Authority has communicated the reasons for the cancellation in writing;
- (d) the insurance broker has not commenced the business within six months of being granted a licence.

33. Manner of making order of cancellation/suspension with notice — The licence of an insurance broker shall not be cancelled unless an enquiry has been held in accordance with the procedure specified in regulation 34.

- 34. Manner of holding enquiry before suspension or cancellation** — (1) For the purpose of holding an enquiry under regulation 33, the Authority may appoint an enquiry officer;
- (2) the enquiry officer shall issue to the insurance broker a notice at the registered office or the principal place of business of the insurance broker, as the case may be, calling for such information as he considers necessary for the conduct of an enquiry;
 - (3) the insurance broker may, within fifteen days from the date of receipt of such a notice, furnish to the enquiry officer a reply together with copies of documentary or other evidence relied on by him or sought by the enquiry officer;
 - (4) the enquiry officer shall, give a reasonable opportunity of hearing to the insurance broker to enable him to make submissions in support of his reply made under sub-regulation(3);
 - (5) the insurance broker may either appear in person or through any person duly authorised by him to present its case;
 - (6) if it is considered necessary, the enquiry officer may require the Authority to present its case through one of its officers; and
 - (7) the enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the insurance broker, submit a report to the Authority within 90 days of the completion of the enquiry proceedings.
- 35. Show-cause notice and order** — (1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider it and issue a show-cause notice to the insurance broker if the contents of the report warrant a suspension or cancellation of the licence granted to him.
- Provided that no such notice is required, in case the provisions of regulation 32 are attracted.
- (2) The insurance broker shall within twenty-one days of the date of receipt of the show cause notice send a reply to the Authority.
 - (3) The Authority after considering the reply to the show cause notice shall, as soon as possible, but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such an order as it deems fit.
- Provided, however, where the insurance broker on serving of the notice under this regulation fails to furnish any reply within the stated period, the Authority may after the expiry of such time proceed to decide the case *ex parte*.
- (4) The Authority shall send a copy of the order made under clause (3) to the insurance broker.
- 36. Publication of order of suspension or cancellation** — The order of cancellation or suspension of the licence made under sub-regulation (3) of regulation 35, shall be published in one of the daily newspapers in the English language and one newspaper in the regional language as the Authority may consider fit.
- 37. Effect of cancellation or suspension of licence** — (1) On and from the date of suspension or cancellation of the licence, the insurance broker, shall cease to act as an insurance broker.
- (2) An insurance broker however shall continue to service the contracts already concluded through him for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by him for having the contracts attended to by another licensed insurance broker.
 - (3) The Authority in such an event may pass such an order as it thinks fit for the disposal of the deposit of the insurance broker made under regulation 20.
- 38. General** — (1) From the date of commencement of these regulations no person can function as a broker or an insurance intermediary unless a licence has been granted to him by the Authority under these regulations.

(2) Any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of his engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

(3) Any dispute arising out of insurance transactions, the jurisdiction of the Authority shall prevail and the laws applicable to the insurance contracts shall be enforced and information in this regard shall be furnished to the Reserve Bank of India.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

**SCHEDULE I
FORM A**

[See regulations 4 and 11]

**Insurance Regulatory And Development Authority
Licensing of Banks as Insurance Brokers Regulations, 2013**

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE/RENEWAL OF LICENCE

Instructions for filling up the form:

1. It is important that before this application form is filled in, the regulations made by the Authority are studied carefully.
2. Applicants must submit a duly completed application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.
3. Application for licence will be considered only if it is complete in all respects.
4. Applicants should sign the applications themselves.
5. Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

NAME OF THE APPLICANT : _____

ADDRESS : _____

CATEGORY APPLIED FOR	<input type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Broker(Life)/Direct	<input type="checkbox"/> Broker(Non-life)/Direct
	<input type="checkbox"/> Broker(Composite)		

CONTACT ADDRESS : _____

TELEPHONE NO : _____

FAX NO : _____

E-mail : _____

PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant : _____

1.2 (A) Address -Head Office / Registered Office.

Pin code: _____ Telephone No: _____

E-mail : _____ Fax No : _____

(B) Attach Addresses of Branch Offices where Broking Insurance Business is to be commenced

(C) New branch locations where Broking Insurance Business is started subsequently should be communicated to the Authority from time to time.

(D) Name and Designation of the Principal Officer

_____**E. Prior Approval of the RBI to apply for licence to act as Insurance Broker.****2. Business Information:**

2.1 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates- applicable only to limited companies)

Share holding as on: _____

Name of shareholder	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company

2.2 Particulars of all Directors:-

Name	Qualification	Experience in Insurance services and related areas	Directorship in other companies	Any other information

2.3 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/Concern	of Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/ Director	Nature and interest of applicant company

--	--	--	--	--

Whether any one or more persons of the associate companies/ concerns are interested in the applicant's business.

2.4 Name and address of the statutory auditors

3. BUSINESS INFORMATION

- 3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income (including anticipated) for which licence sought is to be specifically given. Enclose details
- 3.2 Organization Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed.
- 3.3 Particulars of Key Management Personnel

Name	Qualification	Details of experience in insurance broking/ insurance consulting/risk management and other services:	Date of appointment	Functional areas

(History, major events and present activities (Experience outside India may also be indicated):

3.4 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

4. FINANCIAL INFORMATION

Please attach Audited Annual returns of the last three financial years.
Where unaudited reports are submitted, give reasons.

5. OTHER INFORMATION , IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled

5.2 Details, if any of any economic offences by the applicant/ Directors, or key managerial Personnel in the last three years.

5.2 Details of regulatory actions taken against the applicant by any regulatory body.

DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY TWO OF THE DIRECTORS.

- I/We hereby apply for licence.
- I/We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013 and am/are satisfied that I/ We am/ are eligible to apply for the insurance broker's licence.

I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our licence.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the licence period.

I/We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non renewal of licence.

I/We declare that I/we do not possess an insurance agent licence under section 42 of the Act.

For and on behalf of

(Signature and Name of Applicant
(Block Letters))

(Signature and Name of Applicant
(Block Letters))

Place:

Date;

32679/13-8

**Insurance Regulatory And Development Authority
(Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013**

**FORM B
[see regulations 9& 11]**

LICENCE

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a licence to

to act as _____ broker
(Mention details of category)

under that Act.

2. Licence Code for the insurance broker is

3. This licence shall be valid from _____ to _____

4. This licence is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place :

By Order

Date _____

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority

SCHEDULE II

Insurance Regulatory And Development Authority
(Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013

CODE OF CONDUCT

[see regulation 19]

1. Every insurance broker shall follow recognised standards of professional conduct and discharge his functions in the interest of the policyholders.
2. **Conduct in matters relating to clients relationship**— Every insurance broker shall:
 - (a) conduct its dealings with clients with utmost good faith and integrity at all times;
 - (b) act with care and diligence;
 - (c) ensure that the client understands his relationship with the broker and on whose behalf the broker is acting;
 - (d) treat all information supplied by the prospective clients as completely confidential to themselves and to the insurer(s) to which the business is being offered;
 - (e) take appropriate steps to maintain the security of confidential documents in their possession;
 - (f) hold specific authority of client to develop terms;
 - (g) understand the type of client it is dealing with and the extent of the client's awareness of risk and insurance;
 - (h) obtain written mandate from client to represent the client to the insurer and communicate the grant of a cover to the client after effecting insurance;
 - (i) obtain written mandate from client to represent the client to the insurer;
 - (j) avoid conflict of interest.
 - (k) Obtain necessary documents required under KYC norms
3. **Conduct in matters relating to Sales practices**— Every insurance broker shall:
 - (a) confirm that it is a member of the Insurance Brokers Association of India or such a body of brokers as approved by the Authority which has a memorandum of understanding with the Authority;
 - (b) confirm that he does not employ agents or canvassers to bring in business;
 - (c) identify itself and explain as soon as possible the degree of choice in the products that are on offer;
 - (d) ensure that the client understands the type of service it can offer;
 - (e) ensure that the policy proposed is suitable to the needs of the prospective client;
 - (f) give advice only on those matters in which it is knowledgeable and seek or recommend other specialist for advice when necessary;
 - (g) not make inaccurate or unfair criticisms of any insurer or any member of the Insurance Brokers Association of India or member of such body of brokers as approved by the Authority;
 - (h) explain why a policy or policies are proposed and provide comparisons in terms of price, cover or service where there is a choice of products;
 - (i) state the period of cover for which the quotation remains valid if the proposed cover is not effected immediately;
 - (j) explain when and how the premium is payable and how such premium is to be collected, where another party is financing all or part of the premium, full details shall be given to the client including any obligations that the client may owe to that party; and
 - (k) explain the procedures to follow in the event of a loss.
 - (l) Not to indulge in any sort of money laundering activities.
4. **Conduct in relation to furnishing of information**— Every insurance broker shall:
 - (a) ensure that the consequences of non-disclosure and inaccuracies are pointed out to the prospective client;
 - (b) avoid influencing the prospective client and make it clear that all the answers or statements given are the latter's own responsibility. Ask the client to carefully check details of information given in the documents and request the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so and in case further disclosure is not forthcoming it should consider declining to act further;

- (c) explain to the client the importance of disclosing all subsequent changes that might affect the insurance throughout the duration of the policy; and
- (d) disclose on behalf of its client all material facts within its knowledge and give a fair presentation of the risk.

- 5. Conduct in relation to explanation of insurance contract** — Every insurance broker shall:
- (a) provide the list of insurer(s) participating under the insurance contract and advise any subsequent changes thereafter;
 - (b) explain all the essential provisions of the cover afforded by the policy recommended by him so that, as far as possible, the prospective client understands what is being purchased;
 - (c) quote terms exactly as provided by insurer;
 - (d) draw attention to any warranty imposed under the policy, major or unusual restrictions, exclusions under the policy and explain how the contract may be cancelled;
 - (e) provide the client with prompt written confirmation that insurance has been effected. If the final policy wording is not included with this confirmation, the same shall be forwarded as soon as possible;
 - (f) notify changes to the terms and conditions of any insurance contract and give reasonable notice before any changes take effect;
 - (g) advise its clients of any insurance proposed on their behalf which will be effected with an insurer outside India, where permitted, and, if appropriate, of the possible risks involved; and

- 6. Conduct in relation to renewal of policies** — Every insurance broker shall:
- (a) ensure that its client is aware of the expiry date of the insurance even if it chooses not to offer further cover to the client;
 - (b) ensure that renewal notices contain a warning about the duty of disclosure including the necessity to advise changes affecting the policy, which have occurred since the policy inception or the last renewal date;
 - (c) ensure that renewal notices contain a requirement for keeping a record (including copies of letters) of all information supplied to the insurer for the purpose of renewal of the contract;
 - (d) ensure that the client receives the insurer's renewal invitation well in time before the expiry date.

- 7. Conduct in relation to claim by client** — Every insurance broker shall:
- (a) explain to its clients their obligation to notify claims promptly and to disclose all material facts and advise subsequent developments as soon as possible;
 - (b) request the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so. If further disclosure is not forthcoming it shall consider declining to act further for the client;
 - (c) give prompt advice to the client of any requirements concerning the claim;
 - (d) forward any information received from the client regarding a claim or an incident that may give rise to a claim without delay, and in any event within three working days;
 - (e) advise the client without delay of the insurer's decision or otherwise of a claim; and give all reasonable assistance to the client in pursuing his claim.

Provided that the insurance broker shall not take up recovery assignment on a policy contract which has not been serviced through him or should not work as a claims consultant for a policy which has not been serviced through him.

- 8. Conduct in relation to receipt of complaints** — Every insurance broker shall:
- (a) ensure that letters of instruction, policies and renewal documents contain details of complaints handling procedures;
 - (b) accept complaints either by phone or in writing;
 - (c) acknowledge a complaint within fourteen days from the receipt of correspondence, advise the member of staff who will be dealing with the complaint and the timetable for dealing with it;
 - (d) ensure that response letters are sent and inform the complainant of what he may do if he is unhappy with the response;
 - (e) ensure that complaints are dealt with at a suitably senior level;
 - (f) have in place a system for recording and monitoring complaints.

- 9. Conduct in relation to documentation** — Every insurance broker shall:
- (a) ensure that any documents issued comply with all statutory or regulatory requirements from time to time in force;

- (b) send policy documentation without avoidable delay;
 - (c) make available, with policy documentation, advice that the documentation shall be read carefully and retained by the client;
 - (d) not withhold documentation from its clients without their consent, unless adequate and justifiable reasons are disclosed in writing and without delay to the client. Where documentation is withheld, the client must still receive full details of the insurance contract;
 - (e) acknowledge receipt of all monies received in connection with an insurance policy;
 - (f) ensure that they reply is sent promptly or use its best endeavours to obtain a prompt reply to all correspondence;
 - (g) ensure that all written terms and conditions are fair in substance and set out, clearly and in plain language, client's rights and responsibilities; and
 - (h) subject to the payment of any monies owed to it, make available to any new insurance broker instructed by the client all documentation to which the client is entitled and which is necessary for the new insurance broker to act on behalf of the client.
- 10. Conduct in matters relating to advertising** — Every insurance broker shall conform to the relevant provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000, and :—
- (a) ensure that statements made are not misleading or extravagant;
 - (b) where appropriate, distinguish between contractual benefits which the insurance policy is bound to provide and non-contractual benefits which may be provided;
 - (c) ensure that advertisements shall not be restricted to the policies of one insurer, except where the reasons for such restriction are fully explained with the prior approval of that insurer;
 - (d) ensure that advertisements contain nothing which is in breach of the law nor omit anything which the law requires;
 - (e) ensure that advertisement does not encourage or condone defiance or breach of the law;
 - (f) ensure that advertisements contain nothing which is likely, in the light of generally prevailing standards of decency and propriety, to cause grave or widespread offence or to cause disharmony;
 - (g) ensure that advertisements are not so framed as to abuse the trust of clients or exploit their lack of experience or knowledge;
 - (h) ensure that all descriptions, claims and comparisons, which relate to matters of objectively ascertainable fact shall be capable of substantiation.
- 11. Conduct in matters relating receipt of remuneration**— Every insurance broker shall:—
- (a) disclose whether in addition to the remuneration prescribed under these regulations, he proposes to charge the client, and if so in what manner;
 - (b) advise the client in writing of the insurance premium and any fees or charges separately and the purpose of any related services;
 - (c) if requested by a client, disclose the amount of remuneration or other remuneration it receives as a result of effecting insurance for that client. This will include any payment received as a result of securing on behalf of the client any service additional to the arrangement of the contract of insurance; and
 - (d) advise its clients, prior to effecting the insurance, of their intention to make any deductions from the amount of claim collected for a client, where this is a recognised practice for the type of insurance concerned.
- 12. Conduct in relation to matters relating to training** — Every insurance broker shall:
- (a) Ensure that its staff are aware of and adhere to the standards expected of them by this code;
 - (b) ensure that staff are competent, suitable and have been given adequate training;
 - (c) ensure that there is a system in place to monitor the quality of advice given by its staff;
 - (d) ensure that members of staff are aware of legal requirements including the law of agency affecting their activities; and only handle classes of business in which they are competent;
 - (e) draw the attention of the client to Section 41 of the Act, which prohibits rebating and sharing of commission.

13. Every insurance broker shall display in every office where it is carrying on business and to which the public have access a notice to the effect that a copy of the code of conduct is available upon request and that if a member of the public wishes to make a complaint or requires the assistance of the Authority in resolving a dispute, he may write to the Authority.
14. An insurance broker as defined in these regulations shall not act as an insurance agent of any insurer under section 42 of the Act.
15. Every insurance broker shall abide by the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory And Development Authority Act 1999(41 of 1999), rules and regulations made there under which may be applicable and relevant to the activities carried on by them as insurance brokers.

Annexure-I

1.1 Documentation & Procedural requirements for obtaining Fresh Broker License

A. Submission of Completed Application.

1. Submission of relevant information as required in the FORM A format available on the IRDA website [www.irdaindia.gov.in].
2. The declaration forming part of the application format should be signed by two directors.

B. Documents / Requirements.

1. Remittance of requisite fee as per category of insurance broker applied by demand draft payable at Hyderabad , as prescribed under regulation 16 of IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013.
2. Steps should be undertaken by the applicant to ensure compliance of the training requirements as specified in regulation 7 (2) (F). Training requirement as specified under section 7 (2) (F) of the IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013 is a requirement to be complied with before any application could be considered for grant of license.
3. One Principal Officer has to be there in a broking company fulfilling the requirements as per Regulation 7.
4. Information on whether any person associated with the applicant company in his capacity as Directors/shareholder/promoter/key management personnel or employees is holding any insurance agency or insurance surveyor's license. If yes, the complete details thereof. As per the regulations, no agent or surveyor can work as a broker. The applicant should take steps to cancel the agencies and submit documentary proof of the same to the Authority.
5. Detailed CV of all the directors highlighting their past and present activities.
6. Detailed CV's and attested copies of testimonials of the educational qualifications of the principal officer and key management personnel.
7. Principal Officer to submit an affidavit, duly notarized certifying to the effect that that the applicant (directors, principal officer, key management personnel and employees of the company) are not suffering from any of the disqualifications specified under sub-section 42 D of the Insurance Act, 1938.

8. List of all shareholders (current as well as proposed) of the applicant company.
9. List of employees who will be responsible for soliciting and procuring insurance business along-with their qualifications and the details of bank branches where insurance business is solicited.
10. Details of statutory auditors.
11. Furnish the Board Resolution passed by it/them in Applicant.
12. Submit the audited annual report, balance sheet for the last three years.
13. Clarification on how the applicant company proposes to deal with its existing customers/business/liabilities once it enters the field of insurance broking.
14. Projections of administrative expenses, salaries and wages and other expenses, draw the revenue account, the profit and loss account and the balance sheet for the projected 3 years.
15. Organization chart giving a complete picture of the company's activities like IT, underwriting, risk assessment, claims settlement, marketing, accounts, back office etc.
16. List of experienced personnel inducted from general and life insurance background with good knowledge and experience of working in the areas of risk assessment, underwriting and claims management etc. Submit detailed CV, copies of educational qualifications along with their appointment/joining letters of the people, so selected, to the Authority.
17. Bring on record any other information which is relevant to the nature of services rendered by the applicant for the growth and promotion of insurance business.
18. Any other requirements as deemed necessary by the authority.

C. Personal Presentation

The applicant after fulfilling the given requirements is required to appear before the Authority for a presentation of business plans in connection with the application.

The above list of documents/requirements is indicative only and not exhaustive. The additional documents will be advised based on the category of license applied, pattern of shareholding, any other compliance matter required as per IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013 and views of the Authority.

Annexure 2**DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH RENEWAL APPLICATION BY INSURANCE BROKERS**

1. Form-A (Application form) duly filled in.
2. Renewal checklist duly signed by a Director and the Principal Officer of the Company.
3. DD towards renewal fee.
4. Affidavit duly notarized in compliance of Sec.42D of the Insurance Act, 1938.
5. Undertakings executed by the Principal Officer.
6. Renewal training certificate for 25 Hrs. undergone by the Principal Officer.
7. Shareholding pattern of the company duly certified by the CA.
8. Organization Structure & Chart.
9. Details of Corporate Office along with list of bank branches where insurance business is solicited.
10. List of employees who solicit and procure business on behalf of the company.
11. Business Plan and Projections including Revenue and Expenditure for next three years.
12. Business premium figures and list of top 10 clients for last three years.
13. Copy of Fixed Deposit receipt along with letter from Bank confirming lien.
14. Copies of Professional Indemnity insurance policies for last three years.
15. Copies of previous three years annual reports along with cash flow statements.
16. Any other document specific to the applicant.
